

CONVEYANCE DEED FORMAT

किस्म दस्तावेज	—	बैनामा ।
1— सम्पत्ति का प्रकार	—	आवासीय भूखण्ड
2— वार्ड/परगना	—	तहसील व जिला आगरा ।
3— मौहल्ला/ग्राम	—	पुष्पांजलि मयूर विहार मौजा चमरौली आगरा ।
4— सम्पत्ति का विवरण	—	एककिता भूखण्ड संख्या—..... मिनजुमला खसरा सं० 67अ व 67ब
5— मापन की इकाई	—	वर्गमीटर
6— सम्पत्ति का क्षेत्रफल	—	वर्गमीटर
7— सड़क की स्थिति	—	9 मीटर चौड़ी
8— अन्य विवरण	—	विक्रीत भूखण्ड पर किसी प्रकार कोई निर्माण नहीं है और जो पार्क फेस का है/नहीं है दो रास्ते व कॉर्नर का है/नहीं है ।
9— विक्रीत कीमत	—	/- रुपया ।
10— सरकारी मालियती	—	/- रुपया ।
11— स्टाम्प	—	/- रुपया ।
12— सर्किल रेट	—	9000/- रुपया प्रति वर्गमीटर जिसका कि मूल्यांकन दर सूची दिनांक 01.08.17 ई० के भाग-2 प्रारूप-2 अर्धनगरीय क्षेत्र के पेज-49 क्रमांक-272 के कालम-4 के अनुसार किया गया है ।

सीमायें:-

पूरब —
पश्चिम —
उत्तर —
दक्षिण —

विक्रेता की संख्या: एक

विक्रेता का विवरण :- पी०पी० बिल्डकॉन प्रा०लि० कार्यालय द्वितीय तल पुष्पांजलि पैलेस, देहलीगेट आगरा (कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत गठित) रजिस्ट्रेशन नम्बर यू45203यूपी 2003पीटीसी०28001 दिनांक 21.10.2003 स्थाई लेखा संख्या ए ए डी सी पी 3077 जी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि गनेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व० मक्खन लाल अग्रवाल निवासी 1562, सैक्टर-7, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना आगरा । फोन नम्बर 8192009545

क्रेता की संख्या : एक

क्रेता का विवरण :-

विवरण प्लॉट विक्रीत :- एक किता भूखण्ड संख्या—..... बतादाद वर्गमीटर मिनजुमला खसरा नम्बर-67अ व 67ब पैमाइशी पूरब से पश्चिममीटर व उत्तर से दक्षिणमीटर वाकै पुष्पांजलि मयूर विहार (यूपीरेरा पीआरजे.....), मौजा चमरौली तहसील व जिला आगरा कि जो साथ लगे नक्शे में रंग लाल से स्पष्टतौर पर दर्शाया गया है जिसकी सीमायें ऊपर अंकित कर दी गयी है ।

प्रलेख:- विदित हो कि भूखण्ड मजकूरवाला कुल को विक्रेता कम्पनी ने वशमूल दीगर जमीन के जरिये एक बैनामा रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 27.04.2011 ई० कि जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक चतुर्थ, आगरा की बही नम्बर एक जिल्द

1861 के सफा 25/66 नम्बर 2317 पर दिनांक 27.04.2011 ई0 को विधिवत दर्ज रजिस्टर्ड हुई, के द्वारा बृजकिशोर शर्मा से व दायमी बैनामा रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 08.05.2008 ई0 कि जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक चतुर्थ आगरा की बही नम्बर एक जिल्द 2017 के सफा 97/396 नम्बर 2658 पर दिनांक 08.05.2008 ई0 को विधिवत दर्ज रजिस्टर्ड हुई, के द्वारा नत्थीलाल पटेल जूनियर हाइस्कूल, चमरौली आगरा द्वारा प्रबन्धक रामजी लाल वर्मा, एडवोकेट आदि से क्रय कर अध्याप्त की और वाद खरीदारी मजकूर के विक्रेता कम्पनी भूखण्ड मजकूरावाला विक्रीत कुल की एकमात्र वहैसियत पूर्णरूपेण स्वामी मालिक काबिज व दखील चली आती है अन्य कोई साझी व हिस्सेदार किसी प्रकार का नहीं है कि जो माने किसी तरह के इन्तकाल बगैरा का होवे और जो आज तक हर प्रकार के दावे व झगड़े व रहन व वै व हिंवै व मुआहिदावै व करजे व वार व चार्ज व इन्तकाल व एक्क्यूजीशन व एक्क्यूटेबिल मोरगेज व जमानत कुर्की व नालिश व नीलाम एवं समस्त प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों आदि से कतई मुक्त पाक व साफ है कि जिसका विक्रय करना स्वीकार है कि जिसका विन्यास मानचित्र आगरा विकास प्राधिकरण आगरा से विधिवत स्वीकृत है।

लिहाजा विक्रेता कम्पनी अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर भूखण्ड मजकूरावाला विक्रीत को मय गुडटाइटिल के वएवज मुवलिंग/- रुपया कि आधे जिसके मुवलिंग/- रुपया होते हैं वदस्त - श्री/श्रीमतीपुत्र/पत्नीनिवासीक्रेता उक्त को विक्रय कतई किया और बेच दिया और कीमत का कुल धन मुवलिंग/- रुपया विक्रेता कम्पनी ने क्रेता उक्त से इस प्रकार प्राप्त कर लिया कि मुवलिंग

के द्वारा विक्रेता कम्पनी ने क्रेता उक्त से प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार अब विक्रेता कम्पनी को क्रेता उक्त से कीमत में कुछ पाना बाकी नहीं रहा और न आयंदा होगा।

लिहाजा कब्जा व दखल भूखण्ड मजकूरावाला विक्रीत कुल पर विक्रेता कम्पनी ने वहैसियत पूर्णरूपेण स्वामी के खरीदारा का करा दिया और कतई मालिक मुस्तकिल काबिज व दखील बना दिया। अब आज से खरीदारा को अधिकार है कि वह भूखण्ड मजकूरावाला विक्रीत कुल से वहैसियत स्वामी के जिस प्रकार चाहें लाभान्वित होवें उसमें निर्माण करावें उसमें खुद आबाद हों या किराये पर उठावें या रहन व विक्रय व हिंवै व मुआहिदावै आदि जो चाहें सो करें तथा अपने नाम का नामांकन सम्बन्धित विभाग में जरिये बैनामा हाजा दर्ज करा लें इसमें कुछ उजर न होगा।

अगर सानीउलहाल कोई वारिस या दावेदार पैदा होवे या उक्त भूखण्ड के टाइटिल में कोई कमी पायी जाये तो उसकुल की जबावदेही व जिम्मेदारी तनहा विक्रेता कम्पनी की है और होगी। उस समय खरीदारा को अधिकार होगा कि वह अपना कुल रुपया मय हरजा व खरचा व लागात आदि सहित जिस तरह चाहें वसूल करलें इसमें कुछ उजर न होगा।

भूखण्ड मजकूरावाला विक्रीत कुल नजूल व राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है और नाहीं किसी वाद में कोई अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित की गयी है जिसकी बावत विक्रेता कम्पनी ने किसी प्रकार का कोई मुआवजा आदि प्राप्त नहीं किया है कि जिसको विक्रय करने में भारतीय स्टाम्प अधि0 की धारा 27 (1) का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है।

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। तहरीर तारीख ई0 वमसौदा गनेश चन्द्र अग्रवाल दस्तावेज लेखक, सदर तहसील, आगरा व टाईपकर्ता वीरेश कुमार गोयल सदर तहसील आगरा। दस्तावेज हाजा पक्षकारानों के निर्देशानुसार तहरीर व तकमील कर टंकण कराया। उपरोक्त पर चस्पा फोटो की शिनाख्त नीचे लिखे गये गवाहानों द्वारा की गयी है।